मनोरंजन कर विभाग उत्तर प्रदश

7- The particulars of any arrangement that exists for consultation with, or representation by, the members of the public in relation to the formulation of its policy or implementation thereof

(1) केबिल सेवा के समस्याओं/विवादों के निवारण हेतु मनोरंजन कर आयुक्त,उ0प्र0 के परिपत्र संख्या 419/प्र0क0–3 /केबिल समिति/05–06 दिनांक 06 मई 2005 के द्वारा प्रदेश के समस्त जिला मजिस्ट्रेटस् से अनुरोध किया गया है कि अपने जनपद को केबिल सेवाओं के दृष्टिकोण से सुविधाजनक जोन में बॉटकर पत्येक जोन में एक उप जिला मजिस्ट्रेट स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करें। इस समिति में सम्बन्धित जोन के केबिल आपरेटर तथा केबिल उपभोक्ताओं के प्रतिनिधि को सदस्य के रूप में नामित किया जाये। उपभोक्ताओं की समिति के सदस्यों की संख्या अपने सुविधानुसार निर्धारित कर सकते हैं। इस समिति में मनोरंजन कर विभाग के अधिकारी/निरीक्षकों को संयोजक के रूप में सम्मिलित किये जाने का भी सुझाव दिया गया है। इस समिति में अपनी शिकायतो/कठिनाईयों को प्रस्तुत कराने हेतु आमजन को प्रेरित करने के लिये इसका यथा आवश्यकता प्रचार प्रसारण कराने की एवं इस समिति की द्विमासिक बैठकें आयोजित करके लम्बित समस्याओं/शिकायतों का प्रभावी ढग से निराकरण कराये जाने का हर संभव प्रयास किये जाने की अपेक्षा की गई है।

(2) केबिल टेलीविजन नेटवर्क (रेग्यूलेशन) एक्ट, 1995 के अन्तर्गत कायक्रम एवं विज्ञापन संहिता के उल्लंघन पर देख–रेख करने एवं प्राप्त होने वाली शिकायत/अनियमितता का अनुश्रवण करने हेतु भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के आदेश संख्या–2301/सात–2003–वी0सी0–111 दिनांक 06.09.2005 के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में प्रदेश के सभी जनपदों में 'जिला देखरेख समिति' **(District Monitoring Committee)** गठित की गयी है जिसमें निम्न सदस्य हैंः–

1. जिला मजिस्ट्रेट	अध्यक्ष
2. पुलिस अधीक्षक	सदस्य
3. जिला जनसम्पर्क अधिकारी,	सदस्य
4. जनपद के एक महिला विद्यालय के प्रधानाचार्य	सदस्य

5. जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामित बाल कल्याण के लिये
कार्यरत प्रमुख गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधि सदस्य
6. जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामित महिला कल्याण हेतु
गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधि सदस्य
7. जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामित एक–एक
शिक्षा शास्त्री, मनोवैज्ञानिक/समाज शास्त्री सदस्य

यह समिति सुनिश्चित करती है कि जनपद esa केबिल टी0वी0 द्वारा प्रसारित होने वाले विभिन्न कार्यक्रम केबिल टेलीविजन नेटवर्क (रेग्यूलेशन) एक्ट, 1995 के अन्तर्गत प्रोग्राम कोड तथा विज्ञापन कोड के अनुसार प्रसारित किये जा रहे हैं।

वापस मुख्य पृष्ठ